

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-6/9907(3)/2017-18/385 दिनांक:-20/11/17

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति-

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01)-उ.प्रा.वि.(बालक), [02]-बालकों के विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध, 04-चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निम्नानुसार कार्यालयों को सामान्य/गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

क्र.स.	IFMS UID CODE	बीईईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में	विशेष विवरण
1.	1607	रामगढ (अलवर)	33873	श्री नरेन्द्र कुमार साहू राउप्रावि कोटाखुर्द के कैंसर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
2.	1657	झालरापाटन (झालावाड)	132793	श्रीमती संगीता राव जीयूपीएस के कैंसर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
3.	1479	भादरा (हनुमानगढ)	86904	श्री सुबे सिंह शाशि रामावि मलखेडा के हृदय रोग उपचार व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 76999/- व श्री रामजी लाल शाशि रामावि भोजासर की पुत्री के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 9905/-
		योग	253570	

(अंके रूपये दो लाख तरेपन हजार पांच सौ सतर मात्र)


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/ IFMS/ कोषालय/ 23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होला है तो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F9(14)fd\rules\2005pt जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।


वित्तीय सलाहकार,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार